



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 3 राँची, बुधवार 7 माघ, 1942 (श०)
27 जनवरी, 2021 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 26 -- 30

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस-सी., बी.ए., बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएँ और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएँ

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक-- ...

पूरक "अ" ...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

**मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)**

**अधिसूचना
4 जनवरी, 2021**

संख्या-मं०मं०सं०-05/वि०सं०सत्र०- 365/2020-02--माननीय राज्यपाल महोदया, झारखण्ड का दिनांक- 31 दिसम्बर, 2020 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

“भारत के संविधान के अनुच्छेद-174 के खण्ड-(2) के उप-खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, द्रौपदी मुर्मू, झारखण्ड की राज्यपाल, एतद द्वारा दिनांक-11 नवम्बर, 2020 को विधान सभा की बैठक की समाप्ति के पश्चात झारखण्ड विधान सभा का सत्रावसान करती हूँ।”

राँची, दिनांक- 31 दिसम्बर, 2020 ई० ।

द्रौपदी मुर्मू,
झारखण्ड के राज्यपाल ।

बैधनाथ पाण्डेय,
सरकार के अवर सचिव ।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

11 जनवरी, 2021

संख्या-01 स्था०-133/2013- 34 --वि०स० | सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-1644, दिनांक-15.09.2020, अधिसूचना संख्या-1728, दिनांक-24.09.2020 एवं अधिसूचना संख्या-2244, दिनांक-11.12.2020 के नियमावली का प्रारूप तैयार करने हेतु गठित प्रारूप समिति का अवधि विस्तार दिनांक- 31 जनवरी, 2021 तक के लिए किया जाता है।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

नवीन कुमार,

उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

30 दिसम्बर, 2020

संख्या-1/विविध-814/2020 का०-6889--विभागीय अधिसूचना संख्या-5734 दिनांक 11.11.2020 के द्वारा श्रीमती मेघा भारद्वाज, भा.प्र.से० (झा:2016), संयुक्त सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड को दिनांक 23.11.2020 से 24.12.2020 तक स्वीकृत उपार्जित अवकाश को विस्तारित करते हुए दिनांक 25.12.2020 से 08.01.2021 तक कुल 15 दिनों का अतिरिक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,

सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

30 दिसम्बर, 2020

संख्या-1/विविध-831/2019का०-6888--विभागीय अधिसूचना संख्या-5735 दिनांक 11.11.2020 के द्वारा श्री लोकेश मिश्रा, भा.प्र.से. (झा:2016), अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि व्यवस्था, राँची को दिनांक 23.11.2020 से 24.12.2020 तक कुल 32 दिनों के लिए स्वीकृत उपार्जित अवकाश को विस्तारित करते हुए दिनांक 25.12.2020 से 09.01.2021 तक कुल 16 दिनों का अतिरिक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

4 जनवरी, 2021

संख्या-4/नि०सं०-12-257/2014 का.-51--श्री प्रवीण चौधरी, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला-दुमका) सम्प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महागामा, गोड्डा द्वारा उपभोग किए गये अवकाश की स्वीकृति निम्नरूपेण प्रदान की जाती है:-

- (i) दिनांक 01.09.2016 से 21.05.2017 तक असाधारण अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा
(कुल-263 दिन) संहिता के नियम 180 (ख) टिप्पणी (2)के
तहत,

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजकुमार मण्डल,
सरकार के उप सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

7 जनवरी, 2021

संख्या-1/विविध-816/2020 का०-126--विभागीय अधिसूचना संख्या-5861 दिनांक 13.11.2020 के द्वारा सुश्री समीरा एस., भा.प्र.से. (झा:2018), अनुमंडल पदाधिकारी, सदर राँची को दिनांक 15.12.2020 से 13.01.2021 तक कुल 30 दिनों के लिए स्वीकृत उपार्जित अवकाश के क्रम में दिनांक 14.12.2020 को एक दिन के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एवं दिनांक 13.12.2020 के रविवारीय अवकाश के उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।